फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल पिता श्री हीरालाल बैरवा निवासी राजपुरा दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 33/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.07.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू.अ.05/2019/540–41 दिनांक 18.07.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 29.04.2019 का सूचना अधिकार अधिंनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 10.05.2019 को प्राप्त हुआ हैं। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति रेलमगरा व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सिंन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू.अ. 05/2019/372–74 दिनांक 10.05.2019 को प्रेषित किया गया तथा प्रार्थी को भी सूचित किया गया। प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त हुआ आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना अन्य विभाग की होने से उसी दिन संबंधित विभाग को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (3)(I)(II) के तहत अन्तरण कर भिजवाया गया तथा प्रार्थी अपीलार्थी को भी अन्तरण पत्र की प्रति से सूचित किया गया हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्टानुसार चाही गई वांछित सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति रेलमगरा व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सिंन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द से संबंधित होने से प्रकरण लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द के द्वारा अन्तरित किया जाकर अपीलार्थी को जरिये डाक के पते पर सूचित किया जा चुका है।	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

	विकास अधिकारी, पंचायत समिति रेलमगरा व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सिंन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की प्रथम अपील सुनने का श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं होने से अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द व अपीलार्थी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)